दिनांक 25.09.2019
प्रेस विज्ञप्ति 30/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के साथ अपराध, कानून व्यवस्था एवं पुलिस प्रबन्धन के संबंध में बैठक

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 25.09.2019 को पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिये समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के साथ समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, पुलिस महानिरीक्षक अपराध, पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ, पुलिस महानिरीक्षक कानून–व्यवस्था सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक, द्वारा अपराध, कानून–व्यवस्था एवं पुलिस प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रासंगिक बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की गयी :–

- किसी भी प्रकार की पब्लिक वायलेन्स की घटना घटित न होने पाये, इस सम्बन्ध में कार्ययोजना के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सघन मानीटरिंग करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक विद्धेष उत्पन्न करने वाली खबरों/फेज न्यूज, अफवाहों का तत्काल खण्डन किया जाये तथा फेक न्यूज/अफवाह फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- बाइकर्स गैंग द्वारा कारित की जाने वाली लूट/फायरिंग आदि घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कार्ययोजना के तहत अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिशिचित की जाये।
- टॉप–10 अपराधियों के विरूद्ध सघन प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- महिला सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्यवाही की जाये। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति घटित अपराधों को रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हएु अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी की जाये तथा लगातार इसका अनुश्रवण किया जाये।

- साइबर क्राइम के अपराधों एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए कार्यवाही की जाये। साइबर अपराधों के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये जाये। एटीएम फ्राड के प्रकरणों में गुणवत्तापरक विवेचना के साथ–साथ लगातार अनुश्रवण भी किया जाये।
- लम्बित विवेचनाओं की जोनवार समीक्षा कर ली जाये और व्यवसायिक दक्षता के साथ उनका समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निस्तारण कराया जाये। जोनल स्तर पर महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकरणों से सम्बन्धित विवेचनाओं का लगातार अनुश्रवण किया जाये तथा सभी स्तर पर ओ.आर. के माध्यम से विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये। हत्या के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील 10–10 प्रकरणों को चिन्हित कर उसकी लगातार मानीटरिंग करते हुए अभियुक्तों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के सम्बन्ध में मा0न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाये।
- लोक शिकायत, समाधान दिवस/तहसील दिवस के साथ–साथ आईजीआरएस एवं सी0एम0 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध न्यायोचित निस्तारण किया जाये।
- सभी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में प्रभावी फुट पेट्रोलिंग की जाये।
- शस्त्र एवं गोला बारूद के सम्बन्ध में शासन एवं मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए, इन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्यित किया जाये। शस्त्र दुकानों से निर्गत कारतूसों का सामेकित सत्यापन कर अनियमित्ता पाये जाने पर वैद्यानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- ई–प्रासिक्यूशन के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी को अवगत कराते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये गये। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में निरूद्ध अपराधियों का रिमाण्ड/विचारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही की जाये।
- आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु त्यौहार बन्दोबस्त तथा आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में भी सभी को निर्देशित किया गया।

जनपद गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 50 लाख रू0 कीमत की 01 किलो 300 ग्राम अवैध हेरोईन**
- **01 स्कूटी बरामद**

दिनांक 24.09.2019 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–9 विजयनगर तिराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्कूटी सवार 02 अभियुक्तों 1.नितिन 2.सचिन उर्फ राहुल उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रू0 कीमत की 01 किलो 300 ग्राम अवैध हेरोईन व 01 स्कूटी बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुके है।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नितिन निवासी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।
2. सचिन उर्फ राहुल उर्फ दीपक थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1. लगभग 02 करोड़ 50 लाख रू0 कीमत की 01 किलो 300 ग्राम अवैध हेरोईन
2. 01 स्कूटी

जनपद अरौया/थाना कोतवाली

50 लाख रू0 कीमत की 577 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

दिनांक 25.09.2019 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेशनल हाइवे के पास से एक ट्रक में लदी 50 लाख रू0 कीमत की 577 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हुयी। मौके से शराब तस्कर फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी

1—50 लाख रू0 कीमत की 577 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब

एसटीएफ : जनपद पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वर्ष 2008 से वॉछित रू0 50,000/— के इनामी अपराधी राकेश कुमार गिरफ्तार।

दिनांक 24—09—2019 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद पीलीभीत से गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वर्ष 2008 से वांछित चल रहे रू0 50,000/—के इनामी अपराधी राकेश कुमार पुत्र उठन्ना को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

राकेश कुमार पुत्र उठन्ना उर्फ उदन्ना उर्फ उदयवीर निवासी आजाद नगर थाना मौहम्मदाबाद, फर्रूखाबाद हाल निवासी हनुमान पहाडी थाना खैरथल जनपद अलवर राजस्थान।

श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 द्वारा श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ गौतमबुद्धनगर को घुमन्तू जाति के अपराधिक गिरोह के अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के कम में श्री राज कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक व श्री विनोद सिंह सिरोही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, फील्ड यूनिट नोएडा के निर्देशन में निरीक्षक श्री राकेश कुमार पालीवाल, एसटीएफ नोएडा द्वारा टीम गठित कर घुमन्तू जाति के पुरस्कार घोषित अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 24—09—2019 को विश्वसनीय स्रोतों एवं मुखबिर के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा को सूचना मिली कि घुमन्तू अपराधिक जाति गिरोह के रू0 50,000/— का ईनामी अपराधी राकेश कुमार कही जाने के लिए थाना खैरथल क्षेत्र जनपद अलवर, राजस्थान स्थित प्राइवेट बस अड्डे पर आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 नोएडा टीम द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर साहस एवं व्यवासयिक दक्षता का परिचय देते हुए घेराबंदी करके अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र उठन्ना उर्फ उदन्ना उर्फ उदयवीर, उपरोक्त को समय लगभग 16.000 बजे उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र उठन्ना उर्फ उदन्ना उर्फ उदयवीर, उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी आयु लगभग 28 वर्ष है और वह पढा—लिखा नहीं है। उसका पूरा गैंग के लोग हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में लूट एवं चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते है और जहॉ पर वह जाते हैं वहॉ पर अपनी पत्नियों को भी साथ ले जाते हैं, जिससे पुलिस एवं लोगों का सन्देह इस गैंग पर कम होता है। इनकी पत्नियॉ भीड़—भाड़ वाले स्थानों पर चैन काटने का काम करती हैं। वर्ष 2008 में उसकी मौसी ममता पत्नी लल्ला उर्फ राजकुमार नोगवॉ पकड़िया थाना सुनगढी, जो कि पीलीभीत में रहती थी इसी लिए वह और उसका मामा राहुल उर्फ करूआ उर्फ कल्ल उर्फ मातिया उर्फ रोहित वहॉ उसके पास पहुॅचे थे। किशन, जो कि उसकी मौसी ममता का भतीजा लगता है, वहॉ पर पहले से ही मौजूद था। वहॉ पर हम सब लोगों ने कई लूट एवं चैन स्नैचिंग की घटनाऐं की थी। अभियुक्त ने यह भी बताया कि उसके विरूद्ध थाना सुनगढी, पीलीभीत पर मु0अ0सं0:

1351/08 धारा 356 भादवि लिखा गया था और बाद में थाना सुनगढी में ही वर्ष 2008 में मु0अ0सं0: 1527/08 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट का अभियोग उनके विरूद्ध लिखा गया था, जिसमें वह वॉछित चल रहा था। इसी गैगेस्टर एक्ट के अभियोग में अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र उठन्ना उर्फ उदन्ना की गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के स्तर से रूपया 50,000/- का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्त राकेश कुमार की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार, उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद का नाम
1.	1351/08	356 भादवि	सुनगढी	पीलीभीत
2.	1266/08	25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	पीलीभीत
3.	1527/08	2/3 गैंगस्टर एक्ट	सुनगढी	पीलीभीत

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश कुमार को थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत पर पंजीकृत मु0अ0स0ं 1527/08 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मन्सूरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.09.2019 की सायं थाना मन्सूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सोन्टा रेलवे फाटक के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी रहीश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त जनपद के थाना मन्सूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0

235/ 2018 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मन्सूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रहीश निवासी ग्राम अलीमेव थाना बहिन जनपद पलवल हरियाणा।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.09.2019 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सींखेड़ा मोड़ गेट पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटर साइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर बदमाश फरमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, बदायूं, गाजियाबाद, हापुड, अलीगढ़ आदि जनपदों के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. फरमान निवासी मौहम्मदपुर पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

<u>बरामदगी</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस
2. 01 मोटर साइकिल

<u>जनपद गाजियाबाद/थाना मुरादनगर</u>

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.09.2019 की रात्रि थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पाइप लाइन रोड जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1.अमन, 2.राज कुमार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 02 मोबाइल फोन व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद के थाना मुरादनगर पर लूट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने मोबाइल लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. अमन निवासी ग्राम मोरटा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
2. राज कुमार निवासी ग्राम मोरटा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

<u>बरमदगी</u>

1. लूट के 02 मोबाइल फोन
2. 01 मोटर साइकिल

जनपद कानपुर नगर/थाना विधनू

- **शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **02 तमंचा 32 बोर**
- **04 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **01 अधबना तमंचा 12 बोर**
- **01 अधबना तमंचा 315 बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2019 को थाना विधनू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नीवन जूनियर हाईस्कूल सागरपुरी के पास केडीए के बने खण्डर मकान में घेराबंदी कर अवैध शस्त्र निर्माण कर रहे 02 शातिर अभियुक्तों 1.रामदास, 2.साबिर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 02 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस 02 तमंचा 32 बोर, 04 तमंचा 315 बोर, 10 जीवित कारतूस, 01 अधबना तमंचा 12 बोर, 01 अधबना तमंचा 315 बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना विधनू पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामदास निवासी ग्राम पशवारा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।
2. साबिर निवासी ग्राम पशवारा थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा।

बरामदगी

1. 02 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस
2. 02 तमंचा 32 बोर
3. 04 तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस
4. 01 अधबना तमंचा 12 बोर
5. 01 अधबना तमंचा 315 बोर
6. शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

————